



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 08.08.2025

एसओजी/सर्विलांस व थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.08.2025 को एसओजी/सर्विलांस व थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2025 धारा- 318(4)/309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगणों को थाना क्षेत्र कमालगंज से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सचिन पुत्र सुधीर निवासी गंगानगर लालगेट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
- 2- निगम पुत्र मलिया निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़
- 3- गौरव उर्फ नेता पुत्र अनिल निवासी लालगेट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 05.08.2025 को वादिनी नीलम राठौर पत्नी जय प्रकाश सिंह

निवासी मोहल्ला शास्त्री नगर (द्वितीय) थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी के पिता यदुनाथ सिंह के गले में पड़ी सोने की चेन व उंगली में सोने की अंगूठी और पिता का मोबाइल OPPO A3X5G धोखाधड़ी व बेईमानी से ले लिया गया था, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 253/2025 धारा- 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 309(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार मय हमराह पुलिस बल के कुतबपुर बघार भोजपुर थाना कमालगंज में तलाश वारण्टी/वाहन/संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग गश्त कर रहे थे उसी दौरान एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति कमालगंज की तरफ से आते हुये दिखाई दिये, जो कि पुलिस वालों को देखते ही मोटर साइकिल से भागने लगे, पुलिस द्वारा पीछा करने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे उसी दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने से दो व्यक्ति मौके पर घायल हो गये तथा एक व्यक्ति द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया जिसे पुलिस द्वारा पीछा कर गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों व्यक्तियों से उनका नाम व पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम 1. निगम उपरोक्त 2. गौरव उपरोक्त तथा पीछा करने पर पकड़ा गया व्यक्ति 03. सचिन उपरोक्त बताया। मुठभेड़ में घायल एवं पकड़े गये व्यक्तियों को तत्काल इलाज हेतु सी.एच.सी. कमालगंज भेजा गया जहाँ से घायल निगम व गौरव उपरोक्त को डा0 राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर किया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्रान्तर्गत वॉलीबाल कोच से जो लूट घटना हुयी थी वह उन्ही के द्वारा की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में योजना अभियुक्त गौरव एवं निगम उपरोक्त द्वारा पूर्व में ही बना ली गयी थी जब वह दोनों जेल में निरुद्ध थे। जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद हम दोनों(गौरव एवं निगम) ने सचिन उपरोक्त के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया। अभियुक्तगणों द्वारा अपने जुर्म से मांफी मांगते हुये बाकी की सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बताया गया।

अभियुक्त निगम उपरोक्त से बरामदगी का विवरण:- 01 अदद तंमचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन ओप्पो(घटना से सम्बन्धित)

अभियुक्त गौरव उपरोक्त से बरामदगी का विवरण:- – 01 अदद तंमचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर, 01 एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक पीली धातु अंगूठी(घटना से सम्बन्धित)

अभियुक्त सचिन उपरोक्त से बरामदगी का विवरण:- – 01 मोटरसाइकिल सुपर स्पेलेण्डर

अभियुक्त निगम उर्फ चिमटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 52/2018 धारा 25 ए एक्ट थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
2. मु0अ0सं0 53/2018 धारा 379/411 भादवि जीआरपी फर्रुखाबाद
3. मु0अ0सं0 74/2019 धारा 380/411 भादवि जीआरपी फर्रुखाबाद
4. मु0अ0सं0 83/2019 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी फर्रुखाबाद
5. मु0अ0सं0 14/2025 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कादरीगेट
6. मु0अ0सं0 163/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कादरीगेट
7. मु0अ0सं0 168/2025 धारा 3/25 ए एक्ट व 313 बीएनएस थाना कादरीगेट
8. मु0अ0सं0 256/2024 धारा 305/317(2)/324(4)/331(4) बीएनएस थाना कादरीगेट
9. मु0अ0सं0 1/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली फर्रुखाबाद
10. मु0अ0सं0 1081/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद
11. मु0अ0सं0 14/2025 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कादरीगेट
12. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 318(4)/309(4)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज
13. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना कमालगंज

अभियुक्त गौरव उर्फ नेता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 377/2020 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
2. मु0अ0सं0 572/2022 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
3. मु0अ0सं0 606/2019 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
4. मु0अ0सं0 608/2019 धारा 411/413/414 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
5. मु0अ0सं0 1101/2018 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद
6. मु0अ0सं0 259/2019 धारा 379 भादवि थाना अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर
7. मु0अ0सं0 256/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहांपुर
8. मु0अ0सं0 266/2020 धारा 07 आपराधिक कानून संसोधन अधिनियम , 307/34 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहांपुर
9. मु0अ0सं0 267/2020 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना कलान जनपद शाहजहांपुर
10. मु0अ0सं0 478/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कलान जनपद शाहजहांपुर
11. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 318(4)/309(4)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज
12. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना कमालगंज

अभियुक्त सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 318(4)/309(4)/317(2) बीएनएस थाना कमालगंज
2. मु0अ0सं0 257/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना कमालगंज

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ०नि० उमेश तिवारी
3. उ०नि० शिव कुमार
4. उ०नि० संजीव गौतम
5. उ०नि० बलवीर सिंह
6. का० खेमचन्द्र
7. का० रविन्द्र कुमार
8. का० धीरज कुमार

एसओजी टीम

1. प्रभारी उ०नि० श्री सचिन चौधरी
2. उ०नि० श्री राजेश राय
3. हे०का० बलवीर सिंह
4. हे०का० करन यादव
5. का० धर्मेन्द्र सिंह
6. का० विकास चन्द्र
7. का० सौरभ धीमान
8. का० दिव्याशुं
9. हे०का०चा० चन्द्रशेखर

सर्विलांस पुलिस टीम:-

1. मु०आ० सन्दीप सिंह,
2. मु०आ० अनुराग कुमार,
3. मु०आ० सचेन्द्र सिंह,
4. का० राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़

को० फर्रुखाबाद

दि०-08.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त धीरज सिंह चोहान पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी बजरिया शमशेर खानी झण्डा तल्ला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० 616/2012 वाद संख्या 29/2013 धारा 25/27 A ACT को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 08.08.2025 को मा० न्यायालय एडीजे 7 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास व 1500 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री शीलरतन आनन्द



को०मो० म०हे०का० अल्का



पैरोकार का० धर्मेन्द्र कुमार